



सुविधा पूर्वक रोड साईट ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।

- 12- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0-13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
- 13- बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊँचाई 60 सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।
- 14- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 22.86 मी0 की दूरी से कम पर कोई भवन निर्माण नहीं होना चाहिये।
- 15- संलग्न चैकलिस्ट के बिन्दु सं.-1 के अनुसार प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से निर्धारित मानक के अनुसार न्यूनतम 100 मी0 की दूरी तक कोई 3.00 मी0 चौड़ा मार्ग नहीं होना चाहिए। परन्तु प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से 3.00 मी0 चौड़े मार्ग का इन्टर सैक्शन 60.00 मी0 (प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की साइड) एवं 52.00 मी0 (विपरीत साइड) की दूरी पर है। उक्त स्थिति में कम्पनी द्वारा पेट्रोल पम्प स्थापना से पूर्व 60.00 मी0 की दूरी तक सर्विस रोड का निर्माण (आवेदक द्वारा) किया जाना आवश्यक है। यदि 60.00 मी0 की दूरी तक उक्तानुसार सर्विस रोड का निर्माण (आवेदक द्वारा) नहीं किया जाता है तो निर्गत अनापत्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
- 16- यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 17- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व प्रार्थी को अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि, बिजनौर से लाईसेन्स डीड एकजीक्यूट कराना आवश्यक है।
- 18- भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 19- लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि का शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्च पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0-33023-19/99-डी0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाईडलाईनों का अनुपालन करना होगा।
- 20- उक्त के अतिरिक्त शा0सं0-RW/NH/19-DO-II दिनांक 24.07.2013 के प्रस्तर-5 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिये मुबलिक रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) रसीद सं. 725201 दिनांक 22.03.2018 द्वारा राजस्व को जमा कर दिया गया है।

संलग्न:- 1-मानचित्र दो प्रतियों में।

2-एनकजर एवं चैक लिस्ट।

3-भू0स्वामित्व की छायाप्रति, खतौनी एव सेल डीड।

4-लीज डीड एग्रीमेन्ट की छायाप्रति।

5- रसीद सं. 725201 दिनांक 22.03.2018 की छाया प्रति।

  
(जे0पी0 सिंह)  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
बिजनौर

प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके पत्रांक 1210/154काम-मु0क्ष0/18 दिनांक 20.03.2018 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अवर अभियन्ता (प्रा0) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
बिजनौर

संजय नागपाल  
Sanjay Nagpal  
विधिवत गठित न्यायवादी  
Duly Constituted Attorney  
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड